झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी0 ए0 संख्या–20 / 2020

हरेन्द्र गंझू उर्फ हरेन्द्र कुमार .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्त्ता के लिए: श्री प्रतीक सेन, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए0पी0पी0।

आदेश संख्या–02 दिनांक 10वीं जनवरी, 2020

याचिकाकर्त्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान ए0पी0पी0 को सुना।

याचिकाकर्त्ता कुण्डा थाना काण्ड संख्या 28 वर्ष 2019 के संबंध में एक अभियुक्त हैं।

शस्त्र और गोला बारूद वाले तीन व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिन्होनें याचिकाकर्त्ता के बारे में खुलासा किया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि पकड़े गए सह–अभियुक्त व्यक्तियों को इस न्यायालय द्वारा बी0ए0 संख्या–7405 / 2019, बी0ए0 संख्या–8046 / 2019 एवं बी0ए0

संख्या–7318/2019 में जमानत दी गई है। याचिकाकर्त्ता 26.11.2019 से हिरासत में है।

उपरोक्त के संदर्भ में, याचिकाकर्त्ता को 10,000/– (दस हजार) रूपये के बंध पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, चतरा के संतुष्टि पर, कुण्डा थाना काण्ड संख्या–28/2019 में जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है।

ह0

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया0)